न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर, भीलवाडा

(पीठासीन अधिकारी एल. आर. गुगरवाल आर0ए0एस0)
प्रकरण संख्या – 07/2018 – निगरानी

1. सत्यनारायण सिंह पुत्र नाथूसिंह राव निवासी सतढुंढिया तहसील सहाडा जिला भीलवाडा

बनाम

1. मुकेश पुत्र देवीलाल गाडरी निवासी सतढुंढिया तहसील सहाडा
2. ग्राम पंचायत ढोसर तहसील सहाडा जिला भीलवाडा बजरिये सरपंच हेमलता धोबी

–निगराकार

– गैर निगराकार

निगरानी अन्तर्गत धारा 97 राजस्थान पंचायती राज अधिनियम 1994 बमामले ग्राम पंचायत ढोसर पटटा सं. 06 दिनांक 20.09.2016 को निरस्त करने बाबत्

उपस्थित –

1. श्री पर्वत सिंह अधिवक्ता – निगराकार की ओर से
2. गैर निगराकार सं. 01 के विरूद्व एक तरफा कार्यवाही

निर्णय

दिनांक 24.09.2018

निगराकार की ओर से यह निगरानी अन्तर्गत धारा 97 राजस्थान पंचायती राज अधिनियम 1994 विरूद्व गैर निगराकारान के प्रस्तुत कर निवेदन किया गया कि निगराकार की वादग्रस्त आराजी पर एक रोडी जब से गांव बसा तब से पडती आ रही है और उस रोडी में प्रति वर्ष खाद इकट्ठा कर निगराकार समय समय पर अपने खेतों में डालता चला आ रहा हैं और उसी जगह पर ग्राम पंचायत ढोसर द्वारा पटटा जारी कर दिया गया है जो निरस्त किये जाने योग्य हैं, क्योंकि भूमि भारहीन होकर पटटा जारी करने योग्य नही थी। गैर निगराकार सं. 01 ने पंचायत में पुश्तैनी पटटा बनवाने हेतु आवेदन किस तारीख को प्रस्तुत किया ? पत्रावली में अंकित नहीं हैं। साथ ही उनके द्वारा दिया गया प्रार्थना पत्र मूल ही पत्रावली मे उपलब्ध नहीं हैं, फिर भी ग्राम पंचायत ढोसर ने बिना आवेदन प्रस्तुत हुए पत्रावली कायम कर पटटा जारी कर दिया है जिसे निरस्त किया जाना आवश्यक हैं। पत्रावली पर आवेदन शुल्क, मौका निरीक्षण शुल्क, नक्शा शुल्क जमा कराने का कोई हवाला नही होते हुए भी ग्राम पंचायत ने पत्रावली सं. 6 दिनांक 20.05.2016 दर्ज कर दी जो नियम विरूद्व हैं। आज्ञाओं की सूची की कम सं. के कॉलम में जो दिनांक अंकित है, वह वर्ष 2012–13 की है, जबकि पत्रावली 20.05.2016 को दर्ज की गयी है। मौका निरीक्षण हेतु पंचायत ने जो कमेटी नियुक्त की उसमें श्री लक्ष्मण, गोपीलाल शर्मा, मोहनी भील वार्ड पंचों को नियुक्त किया गया, लेकिन पत्रावली में संलग्न आबादी भूमि के मौका पर्चा रिपोर्ट में नारायण गाडरी, माधुसिंह, देउ वार्ड पंचों के हस्ताक्षर करवाये हुये हैं। पत्रावली में संलग्न पंचायत नक्शा फार्म पर सचिव के हस्ताक्षर एवं नक्शा बनाने की दिनांक अंकित नहीं की हुयी है तथा नक्शें मे पडौस का विवरण नही दिया गया हैं एवं साईज 30 बाई 90 अंकित है व फीट में है या गज में यह अंकित नही किया गया हैं। ग्राम पंचायत ढोसर ने मुकेश के माता पिता के जीवित होते हुए भी उनसे कोई सहमति पत्र लिये बगैर ही पुश्तैनी पटटा जारी कर दिया एवं मौके पर कोई निर्माण नहीं होते हुए

अतिरिक्त जिला कलक्टर भीलवाडा (राज.)

भी पुश्तैनी पटटा जारी कर दिया है जो कानूनन गलत हैं। आपत्ति पत्र दिनांक 20.08.2016 को जारी किया गया, जिसकी एक माह की अवधि 18.09.2016 को समाप्त होती है। जबकि आज्ञाओं की सूची में दिनांक 15.09.2016 को आपत्ति की अवधि समाप्त होना माना गया है जो गलत हैं। ग्राम पंचायत द्वारा जारी पटटा 6 जो बुक सं. 317 से जारी किया गया उसमें भूमि विक्रय नियम 145 से 157 में वर्णित प्रावधानों की पालना नहीं की गयी है। अतः निवेदन हैं कि निगराकार द्वारा प्रस्तुत निगरानी स्वीकार फरमाई जाकर ग्राम पंचायत ढोसर द्वारा दिये गये आदेश दिनांक 20.09.2016 पटटा सं. 6 को निरस्त फरमाया जावे।

प्रस्तुत निगरानी इस न्यायालय में दिनांक 22.01.2018 को पंजीकृत करते हुये गैर निगराकारान को नोटिस जारी किये गये व ग्राम पंचायत ढोसर से पत्रावली तलब की गयी। गैर निगराकार के उपस्थित नहीं होने पर एक तरफा कार्यवाही की गयी। ग्राम पंचायत ढोसर ने रिकार्ड प्रस्तुत किया।

निगराकार अधिवक्ता उपस्थित। निगराकार ने अपनी बहस में निगरानी में प्रस्तुत बिन्दु सं. 1 से लगायत 13 के तथ्यों को दोहराते हुए बताया कि निगराकार की वादग्रस्त आराजी पर एक रोडी जब से गांव बसा तब से पडती आ रही है और उस रोडी में प्रति वर्ष खाद इकट्ठा कर निगराकार समय समय पर अपने खेतों में डालता चला आ रहा हैं और उसी जगह पर ग्राम पंचायत ढोसर द्वारा पटटा जारी कर दिया गया है जो निरस्त किये जाने योग्य हैं, क्योंकि भूमि भारहीन होकर पटटा जारी करने योग्य नही थी। गैर निगराकार सं. 01 ने पंचायत में पुश्तैनी पटटा बनवाने हेतु आवेदन किस तारीख को प्रस्तुत किया ? पत्रावली में अंकित नहीं हैं। साथ ही उनके द्वारा दिया गया प्रार्थना पत्र मूल ही पत्रावली मे उपलब्ध नहीं हैं, फिर भी ग्राम पंचायत ढोसर ने बिना आवेदन प्रस्तुत हुए पत्रावली कायम कर पटटा जारी कर दिया है जिसे निरस्त किया जाना आवश्यक हैं। पत्रावली पर आवेदन शुल्क, मौका निरीक्षण शुल्क, नक्शा शुल्क जमा कराने का कोई हवाला नही होते हुए भी ग्राम पंचायत ने पत्रावली सं. 6 दिनांक 20.05.2016 दर्ज कर दी जो नियम विरूद्व हैं। आज्ञाओं की सूची की क्रम सं. के कॉलम में जो दिनांक अंकित है, वह वर्ष 2012–13 की है, जबकि पत्रावली 20.05.2016 को दर्ज की गयी है। मौका निरीक्षण हेतु पंचायत ने जो कमेटी नियुक्त की उसमें श्री लक्ष्मण, गोपीलाल शर्मा, मोहनी भील वार्ड पंचों को नियुक्त किया गया, लेकिन पत्रावली में संलग्न आबादी भूमि के मौका पर्चा रिपोर्ट में नारायण गाडरी, माधुसिंह, देउ वार्ड पंचों के हस्ताक्षर करवाये हुये हैं। पत्रावली में संलग्न पंचायत नक्शा फार्म पर सचिव के हस्ताक्षर एवं नक्शा बनाने की दिनांक अंकित नहीं की हुयी है तथा नक्शें मे पडौस का विवरण नही दिया गया हैं एवं साईज 30 बाई 90 अंकित है व फीट में है या गज में यह अंकित नही किया गया हैं। ग्राम पंचायत ढोसर ने मुकेश के माता पिता के जीवित होते हुए भी उनसे कोई सहमति पत्र लिये बगैर ही पुश्तैनी पटटा जारी कर दिया एवं मौके पर कोई निर्माण नहीं होते हुए भी पुश्तैनी पटटा जारी कर दिया है जो कानूनन गलत हैं। आपत्ति पत्र दिनांक 20.08.2016 को जारी किया गया, जिसकी एक माह की अवधि 18.09.2016 को समाप्त होती है। जबकि आज्ञाओं की सूची में दिनांक 15.09.2016 को आपत्ति की अवधि समाप्त होना माना गया है जो गलत हैं। ग्राम पंचायत द्वारा जारी पटटा 6 जो बुक सं. 317 से जारी किया गया उसमें भूमि विक्रय नियम 145 से 157 में वर्णित प्रावधानों की पालना नहीं की गयी है। निवेदन हैं कि निगराकार द्वारा प्रस्तुत निगरानी स्वीकार फरमाई जाकर ग्राम पंचायत ढोसर द्वारा दिये गये आदेश दिनांक 20.09.2016 पटटा सं. 6 को निरस्त फरमाया जावे।

निगराकार अधिवक्ता की बहस पर मनन किया गया एवं पत्रावली व

दस्तावेजात का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया गया। ग्राम पंचायत कार्यवाही विवरण दिनांक 05.07.2016 में भवन/मकान किस खसरा नं. की आबादी भूमि में स्थित हैं, होने का अंकन नहीं है। मौका निरीक्षण प्रपत्र दिनांक 05.07.2016 में मकान आबादी में होना अंकित किया हैं, लेकिन पटटे वाली 2700 वर्ग फीट भूमि में से 25 प्रतिशत संनिर्मित क्षैत्रफल का अंकन नहीं हैं, जबकि सरपंच ग्राम पंचायत ढोसर ने गैर निगराकार के नाम पुश्तैनी मकान का नियमतीकरण हेतु पटटा जारी करना अंकित किया है। मौका निरीक्षण हेतु पंचायत ने जो कमेटी नियुक्त की उसमें श्री लक्ष्मण, गोपीलाल शर्मा, मोहनी भील वार्ड पंचों को नियुक्त किया गया, लेकिन पत्रावली में संलग्न आबादी भूमि के मौका पर्चा रिपोर्ट में नारायण गाडरी, माधुसिंह, देउ वार्ड पंचों के हस्ताक्षर करवाये हुये हैं। पत्रावली में संलग्न पंचायत नक्शा फार्म पर सचिव के हस्ताक्षर एवं नक्शा बनाने की दिनांक अंकित नहीं की हुयी है तथा नक्शें मे पडौस का विवरण नही दिया गया हैं। आपत्ति पत्र दिनांक 20.08.2016 को जारी किया गया, जिसकी एक माह की अवधि 19.09.2016 को समाप्त होती है। जबकि आज्ञाओं की सूची में दिनांक 15.09.2016 को आपत्ति की अवधि समाप्त होना माना गया है जो गलत हैं। निगराकार ने अपने निगरानी प्रार्थना पत्र में अंकित करते हुये उक्त पटटे को निरस्त करने की प्रार्थना की है।

157 राजस्थान पंचायतीराज नियम 1996 इस प्रकार हैं –

पुराने गृहों का विनियमतीकरण –

1. जहाँ व्यक्ति आबादी भूमि में पुराने गृह का कब्जा रखते हैं और पटटा जारी किये जाने के इच्छुक हैं वहां उन्हें निम्नलिखित प्रभार निक्षिप्त कराने के पश्चात् प्रारूप 23–क में पंचायत द्वारा पटटा जारी किया जा सकेगा ।

(i) 300 वर्गगज तक के क्षैत्रफल के लिए 300 वर्गगज अधिकतम क्षैत्रफल के अध्यधीन रहते हुए 25 प्रतिशत संनिर्मित क्षैत्रफल को सम्मिलित करते हुए संनिर्मित क्षैत्रफल –

(क) इन नियमों के प्रारम्भ की तारीख से पूर्व, पचास वर्षों से अधिक पूर्व में 100/–रू. संनिर्मित पुराने गृहों के लिए ।

(ख) इन नियमों के प्रारम्भ की तारीख से ठीक पूर्ववर्ती पचास वर्षों के दौरान 200/–रू. संनिर्मित पुराने गृहों के लिए

(ii) उपर्युक्त खण्ड (1) में विनिर्दिष्ट क्षैत्रफल से अधिक क्षैत्रफल के लिए, राजस्थान स्टाम्प नियम 2004 के नियम 58 के खण्ड (ख) के अधीन गठित जिला स्तरीय समिति द्वारा सिफारिश की नयी बाजार दरों का 25 प्रतिशत ।

गैर निगराकार का ग्राम ढोसर में पुश्तैनी मकान कितने वर्ष पुराना हैं? किस आराजियात पर स्थित हैं ? का अंकन नहीं है। गैर निगराकार द्वारा पूर्ण जानकारी नही देने से गैर निगराकार को जारी पटटा सं. 06 विधि विरूद्व जारी किया जाना प्रतीत होता है। उक्त जारी किया गया पटटा विधि विरूद्व होने से निरस्त योग्य है। अतः निगराकार की निगरानी स्वीकार की जाती है। साथ ही पटटा दिनांक 20.09.2016 को कार्यरत सरपंच ग्राम पंचायत ढोसर एवं सचिव ग्राम पंचायत ढोसर ने पटटे जारी करके विधि विरूद्ध कार्य किया हैं जो लोक सेवक के कर्तव्यों के विपरीत है। राजस्थान

पंचायतीराज अधिनियम की धारा 38 के तहत पटटा दिनांक 20.09.2016 को कार्यरत सरपंच ग्राम पंचायत ढोसर एवं सचिव ग्राम पंचायत ढोसर के विरूद्व अनुशासनात्मक कार्यवाही हेतु मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिला परिषद भीलवाडा को लिखा जाना युक्तियुक्त है। अतएव –

आदेश

निगराकार की ओर से प्रस्तुत निगरानी अन्तर्गत धारा 97 पंचायती राज अधिनियम विरूद्व आदेश ग्राम पंचायत ढोसर स्वीकार की जाती हैं। ग्राम पंचायत ढोसर पटटा सं. 06 दिनांक 20.09.2016 को निरस्त किया जाता है। पटटा दिनांक 20.09.2016 को कार्यरत सरपंच व ग्राम सचिव ग्राम पंचायत ढोसर ने पटटा जारी करके विधि विरूद्ध कार्य किया हैं जो लोक सेवक के कर्तव्यों के विपरीत है। पंचायतीराज अधिनियम की धारा 38 के तहत पटटा दिनांक 20.09.2016 को कार्यरत सरपंच के विरूद्व कार्यवाही हेतु एवं ग्राम सचिव ग्राम पंचायत ढोसर के विरूद्व सी.सी.ए. रूल्स 1958 के तहत कार्यवाही करने हेतु मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिला परिषद भीलवाडा को लिखा जावे कि पटटा दिनांक 20.09.2016 को कार्यरत सरपंच के विरूद्व अनुशासनात्मक कार्यवाही करने हेतु संभागीय आयुक्त महोदय अजमेर के माध्यम से राज्य सरकार को प्रकरण प्रेषित किया जावे एवं ग्राम सचिव ग्राम पंचायत ढोसर के विरूद्व अनुशासनात्मक कार्यवाही कर पालना से 2 माह में अवगत कराया जावे। उक्त निर्णय की प्रति श्रीमान् जिला कलक्टर महोदय (पंचायत) भीलवाडा को भी प्रेषित की जावे। निर्णय की प्रति मुख्य कार्यकारी अधिकारी जिला परिषद भीलवाडा को प्रेषित किया जावे। निर्णय की प्रति मय तलबिदा रिकार्ड ग्राम पंचायत ढोसर पंचायत समिति सहाड़ा को प्रेषित किया जावे।

निर्णय आज दिनांक 24.09.2018 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

24/9/18

(एल.आर.गुगरवाल)
अतिरिक्त जिला कलक्टर,
भीलवाड़ा

अतिरिक्त जिला कलक्टर
भीलवाड़ा (राज.)